भास्कर ए. सावंत
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर– 302005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि0 कार्या0 : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाष: 0141–2740382–1318, फेक्स: 0141–2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: cmd@jvvnl.in, CIN: U40109RJ2000SGC016486

क्रमांक: अध्यक्ष डिस्कॉम्स / एमआईएस / पत्रा. / प्रे. 181 जयपुर, दिनांक: 28-8-2015

कार्यालय आदेश

जन जाग्रति द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए आम उपभोक्ताओं एवं जन प्रतिनिधियों को बिजली चोरी के दुष्प्रभावों एवं इससे होने वाली विद्युत व राजस्व की हानि के बारे में बताया जाना अति आवश्यक है। इस कार्य हेतु प्रत्येक जिले / वृतों में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) को विद्युत चोरी रोकने के लिए जन जाग्रति हेतु निम्न कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

1. अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) बिजली चोरी एवं दुरूपयोग रोकने के साझा प्रयासों हेतु संलग्न प्रारूप में पैम्फलेट मुद्रित करा कर समस्त पवस के उपखण्डों में पद स्थापित फीडर इंचार्जों के माध्यम से सभी गाँवों में बिजली चोरी से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत करायेंगे।

2. वर्तमान में "हर घर बिजली, डिस्कॉम आपके द्वार" शिविरों के आयोजन के दौरान भी इस जानकारी के पैम्फलेट गाँवों व बस्तियों में वितरित करते हुए आम उपभोक्ता से सम्वाद किया जावें। शिविरों के दौरान पैम्फलेट को फ्लेक्स तैयार कर प्रदर्शित भी किया जावे तथा शिविर के बाद उपखण्ड कार्यालय पर प्रदर्शन हेतु रखा जावे।

3. इस कार्य हेतु प्रत्येक वृत में पदस्थापित सतर्कता अधिशाषी / सहायक अभियंता के अतिरिक्त सतर्कता पुलिस अधिकारियों व एपीटीपीएस में पदस्थापित स्टाफ को अलग–अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप कर गाँव–गाँव पहुँच कर बिजली चोरी के विरूद्ध जन जागरण अभियान की कियान्विति अधीक्षण अभियंता (सतर्कता) व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) के सयुंक्त प्रयास से सुनिश्चित की जावे।

4. अधिक छीजत व विद्युत चोरी सम्भावित गाँवों को चिन्हित कर पवस व सतर्कता विंग के अधिशाषी / सहायक अभियंता, उपपुलिस अधीक्षक (सतर्कता) व एसएचओ एपीटीपीएस द्वारा सम्वाद किया जाना। इसके लिए अधीक्षण अभियंता (सतर्कता) व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) संयुक्त रूप से आदेश जारी करें।

5. ऐसे उपभोक्ता जो बिल जमा कराने अथवा किसी शिकायत के समाधान अथवा अन्य कार्यों से उपखण्ड कार्यालय आते हैं उनको भी पेम्फलेट दे कर विद्युत चोरी रोकने में सहायक बनने हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए।

6. पंचायत/ग्राम स्तरीय बैठकों में भी सीसीए/फीडर इंचार्ज अथवा पवस/सतर्कता विंग के अधिशाषी/सहायक अभियंता उपस्थित होकर बिजली चोरी रोकने व इसके दुष्परिणामों के बारे में बतायें।

7. इस अभियान के दौरान भी वितरण तंत्र उपलब्ध होने पर यदि कनेक्शन नहीं लिया हुआ है तो कनेक्शन लेने हेतु आम जन को प्रेरित किया जावे।

8. सीसीए/फीडर इंचार्ज द्वारा संदेश पहुँचाये गये गाँवों की सूची संपर्क किये गये दिनांक सहित उपखण्ड कार्यालय में दैनिक प्रस्तुत करें। सहायक अभियंता सूची का संकलन कर संपर्क किये गये गाँवों की संख्या की सूचना अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) को साप्ताहिक प्रस्तुत करें।

9. अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) वृत क्षेत्र के सभी गाँवों/बस्तियों की संख्या का संकलन करा कर अधीक्षण अभियंता (सतर्कता) को निगम स्तर पर संकलन हेतु साप्ताहिक प्रगति की सूचना प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे तक प्रस्तुत करेंगे।

10. अधीक्षण अभियंता पवस अपने वृत क्षेत्र में गाँव–गाँव बिजली चोरी एवं दुरूपयोग रोकने के साझा प्रयासों के इस अभियान के कार्य का प्रारंभ सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में कर शीघ्रता से एक माह में सभी क्षेत्रों में संपर्क अभियान को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर ।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ...।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (पीपीपी/पीपीएम/वाणिज्य/आईटी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/ अजमेर/जोधपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (पवस/सतर्कता), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/ अजमेर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/ अजमेर/जोधपुर।
6. सचिव (प्रशासन), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर /अजमेर/जोधपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व/कंट्रोल/.....), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक–माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार।
10. प्रावैधिक सहायक–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
11. प्रावैधिक सहायक–प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स

बिजली चोरी एवं दुरूपयोग रोकने के लिये साझा प्रयास

- प्रतिवर्ष राज्य को लगभग 8000 करोड रूपये की हानि बिजली की चोरी के कारण होती है।
- एक जन द्वारा विद्युत की चोरी का भार दस उपभोक्ताओं को उठाना होता है।
- विद्युत चोरी करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर जान माल की हानि भी सम्भावित है।
- बिजली की चोरी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के द्वारा दण्डनीय अपराध है।
- प्रथम बार विद्युत चोरी पकडे जाने पर समझौता राशि व सिविल लाईबिल्टी जमा करानी होती है अन्यथा गठित विशेष न्यायालय द्वारा तीन वर्ष का कारावास व तीन गुणे से अधिक जुर्माना अथवा दोनो।
- दूसरी बार या उसके बाद भी विद्युत चोरी पकडे जाना गैर जमानती अपराध है, कम से कम छः माह से 5 वर्ष तक कारावास व छः गुना जुर्माना राशि की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सिविल लाईबिल्टी भी जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त तीन माह से दो वर्ष तक विद्युत से वंचित किया जा सकता है।
- बिजली चोरी रोकने के प्रयासों से राजस्व बढोतरी होने के फल स्वरूप विद्युत दरों में होने वाली वृद्धि कम हो सकती है।
- बिजली चोरी की सूचना वितरण निगम के केन्द्रीय कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507 पर दर्ज कर सात दिवस में जाँच सुनिश्चित की जावेगी।
- बिजली की चोरी की सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखे जाने का भी प्रावधान है।
- बिजली चोरी पकडे जाने पर भारी जुर्माना भरना पडता है, जबकि नियमानुसार कनेक्शन लेने पर बिजली के बिलों की भुगतान राशि जुर्माने के सापेक्ष अत्यन्त कम है।
- ईमानदारी से बिजली उपभोग कर समय से बिल राशि जमा कराने पर वितरण निगम बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है।
- नये कनेक्शन हेतु शिविर लगाये जा रहे हैं, इन शिविरों का लाभ उठायें, तुरंत कनेक्शन पायें।
- बिजली की चोरी राष्ट्रीय क्षति है, आम नागरिकों के साझा प्रयास से इसकी रोक थाम करने में कामयाबी संभव है।
- अधिक विद्युत चोरी वाले क्षेत्रों में राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे गाँवों को 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।